अनुदान संख्या 18 - संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2920,89,00				
				3274,93,00	3213,07,83	-61,85,17
पूरक	Supplementary	354,04,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					44,14,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	88,16,00				
				88,17,00	71,04,12	-17,12,88
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,90,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹6185.17 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹35404.00 लाख के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6185.17 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grants of ₹35404.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला और संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	280980.00			
पू.	S.	33378.00	316858.97	315146.68	-1712.29
पु.	R.	2500.97			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5325.00			
पू.	S.	2026.00	1.85	..	-1.85
पु.	R.	-7349.15			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹7741.00 लाख का प्रावधान (₹2026.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹6784.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे :–

(का) "कला और संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹4039.00 लाख; और

(खा) "कला और संस्कृति – संग्रहालय – संग्रहालयों का विकास" – ₹2745.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(I) Provision of ₹7741.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2026.00 lakhs) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹6784.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:-

(A) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹4039.00 lakhs; and

(B) "Art and Culture - Museums - Development of Museums" - ₹2745.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2205" – "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – संग्रहालयों का विकास" – ₹920.00 लाख का मूल प्रावधान ₹2330.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3250.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, स्मरणोत्सव कार्यकलापों को मनाने के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹821.12 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2205" - "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development of Museums" - the original provision of ₹920.00 lakhs was augmented to ₹3250.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2330.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹821.12 lakhs - due to receipt of less proposals for celebrations of commemoration activities.

(III) मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(III) Under Major Head "2205" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पुरातात्विक सर्वेक्षण" –

(A) "Archaeological Survey" -

(क) "भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निदेशालय" – ₹1666.67 लाख की बचत (₹46339.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में दावे प्राप्त होने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate of Archeological Survey of India" - saving of ₹1666.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46339.00 lakhs) was due to less receipt of claims, non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "पुराने स्मारकों का संरक्षण" – ₹3622.17 लाख की बचत (₹55000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मैसर्स एस आई एस लिमिटेड को रोके गए भुगतान को जारी करने का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(b) "Conservation of Ancient Monuments" - saving of ₹3622.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for release of withheld payment to M/s SIS Ltd.

(खा) "संग्रहालय" –

(B) "Museums" -

(क) "संग्रहालय – राष्ट्रीय संग्रहालय" – ₹1663.48 लाख की बचत (₹6473.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम विदेशी दौरे करने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने और कार्यालय उपकरण नहीं खरीदे जाने के कारण हुई।

(a) "Museums-National Museums" - saving of ₹1663.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6473.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, less foreign tours undertaken, less receipt of medical claims and non-procurement of office equipment.

(ख) "संग्रहालयों का विकास" – ₹4216.86 लाख की बचत (₹16020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा

(b) "Development of Museums" - saving of ₹4216.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16020.00 lakhs) was due to

बाध्यकारिताओं का अनुमोदन करने और उनके अनुपालन में देरी के कारण हुई।

delay in approval and completion of the obligations by States/UTs.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹484.36 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹484.36 lakhs occurred, constituting 51 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹13338.57 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹35404.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹13338.57 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹35404.00 lakhs under Major Head "2205" - under the following heads:-

(का) "कला और संस्कृति का संवर्धन" –

(क) "कला संस्कृति विकास योजना" – ₹3437.90 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3403.77 लाख हुआ।

(ख) "शताब्दी और सालगिरह समारोह" – ₹4537.87 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹4511.98 लाख हुआ।

(ग) "स्वायत्त शासी निकाय और अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय" – ₹4262.77 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3244.87 लाख हुआ।

(का) "जनजातीय उप योजना – शताब्दि और वार्षिक सालगिरह समारोह" – ₹1100.03 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1100.02 लाख हुआ।

(A) "Promotion of Arts and Culture" -

(a) "Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹3437.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹3403.77 lakhs.

(b) "Centenary and Anniversary Celebrations"- ₹4537.87 lakhs. Actual excess, however, was ₹4511.98 lakhs.

(c) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies"- ₹4262.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹3244.87 lakhs.

(B) "Tribal Area sub-plan-Centenary and Anniversary Celebration" - ₹1100.03 lakhs. Actual excess, however, was ₹1100.02 lakhs.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹783.98 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत और 99 प्रतिशत था।

(II) Under two heads excess of ₹783.98 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent and 99 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	8816.00			
पू.	S.	1.00	7527.00	7104.12	-422.88
पु.	R.	-1290.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹290.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹290.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) "कला और संस्कृति" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं –

(II) Under "Art and Culture" - savings occurred under the following heads" -

(का) "सार्वजनिक पुस्तकालय – पुस्तकालय और अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय" – ₹1238.42 लाख की बचत (₹1390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान प्रावधान की तुलना में) मरम्मत और रखरखाव कार्य के प्रस्तावों अंतिम रूप नहीं दिए लाने के कारण हुई।

(A) "Public Libraries - Libraries and Archives - National Library" - saving of ₹1238.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1390.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for repair and maintenance work.

(खा) "संग्रहालय – संग्रहालय – राष्ट्रीय संग्रहालय" – ₹661.33 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नार्थ और साउथ ब्लाक में राष्ट्रीय संग्रहालय के पुनर्वास के लिए निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण हुई।

(B) "Museums - Museums - National Museum"- saving of ₹661.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to non-commencement of construction work for relocation of National Museum to North and South Block.

(गा) "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – संबद्ध कार्यालय" – ₹1169.44 लाख की बचत (₹2736.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आगरा में कार्यालय भवन के निर्माण और चंडीगढ़ में भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।

(C) "Archaeological Survey of India - Attached Office" - saving of ₹1169.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2736.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for construction of office building at Agra and land acquisition at Chandigarh.

(III) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए अंशिक रूप से (₹1810.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2022 में "कला और संस्कृति – संग्रहालय – संग्रहालय – राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान करते समय संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि, अधिक व्यय ₹1786.74 लाख हुआ।

(III) The above savings were partly (₹1810.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under "Art and Culture - Museums - Museums - National Gallery of Modern Art". Actual excess, however, was ₹1786.74 lakhs.